राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2295/2012/झुंझुनूं

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–द्वितीय, झुंझुनूं। .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स पुरूषोत्तम लाल शर्मा,
केड, उदयपुरवाटी, झुंझुनूं। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :
श्री एन.एस.राठौड़,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री वी.सी.सोगानी,
अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :30.04.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, वृत्त–झुंझुनूं (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, (अपील्स), बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक **15.06.2012** के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जो **अपील संख्या 83/आरवैट/झुंझुनूं/2010–12** के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 24(3), 55 व 58 के तहत् निर्धारण वर्ष **2008–09** के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक **09.02.2011** में जरिये कायम की गयी मांग राशियों को अपास्त कर, प्रकरण को कतिपय निर्देशों के जरिये निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी आलोच्य अवधि का निर्धारण आदेश पारित करते समय, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर, यह पाया कि निर्धारण वर्ष 2008–09 में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर खण्ड़, झुंझुनू से बाउन्ड्री वाल की मरम्मत एवं क्वार्टर निर्माण से संबंधित कार्य संविदा कुल राशि ₹6,77,957/– का प्राप्त किया गया है। अतः अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधि के निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा लेखा पुस्तकें प्रस्तुत नहीं करने के कारण राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियमों, 1995 के नियम 22 के तहत् सिविल प्रकृति के कार्यों के लिए निर्धरित मानकों अनुसार श्रम का भाग मानते हुये सकल भुगतान ₹4,70,000/– लाभांश सहित कर योग्य माल का

लगातार.....2

अवधारित कर, उक्त में से ₹3,00,000/—का भुगतान 12.5 प्रतिशत की दर से माल संबंधी मानते हुये कुल कर ₹37,500/—एवं ₹1,70,000/— का भुगतान 4 प्रतिशत की दर से करयोग्य माल का मानते हुये उक्त पर कर ₹6,800/— निर्धारित कर, शेष राशि ₹2,07,957/— को श्रम का भाग मानते हुये छूट स्वीकार की गयी। अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर यह भी पाया कि संविदाकार द्वारा प्रस्तुत संविदानुसार श्रम का व्यय ₹2,71,083/— दर्शाया गया है परन्तु प्रत्यर्थी व्यवहारी को अवसर प्रदान करने के उपरांत भी लेखापुस्तके प्रस्तुत नहीं करने के कारण नियम 22 के अुनसार श्रम का भाग कुल ₹2,07,957/— स्वीकार कर, शेष राशि ₹63,226/— को अस्वीकार कर, करयोग्य माल अपीलार्थी निर्धारण अधिकार द्वारा होना अवधारित किया गया। इसी प्रकार संविदाकार द्वारा पानी का व्यय ₹60,250/— दर्शाते हुऐ छूट चाही गयी लेकिन लेखापुस्तके एवं पानी के बिल प्रस्तुत नहीं करने के कारण उक्त घोषित व्यय को अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर उक्त को कर योग्य होना अवधारित किया गया । इसी क्रम में प्रत्यर्थी व्यवहारी के पक्ष में लेखाधिकारी, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, झुंझुनू द्वारा टी. डी.एस. राशि ₹6,821/— के संबंध में जारी घोषणा प्ररूप वेट—41 प्रस्तुत किया गया जिसका समायोजन बाद सत्यापन दिये जाने का निर्णय अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा लिया गया। इसी प्रकार अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 58(i) के अनुसार त्रैमासिक एवं वार्षिक रिटर्न समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण, निर्धारण अवधि 2007—08 के दौरान शुद्ध करदायित्व ₹20,000/— से अधिक होने के कारण ₹8,860/— शास्ति आरोपित की गयी। इसी प्रकार ₹1,856/— का आई.टी.सी. समायोजन सत्यापन के बाद देने का उल्लेख करते हुये अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रदान नहीं किया गया तथा अधिनियम की धारा 55 के तहत् ₹6,000/— ब्याज निर्धारित कर, कुल मांग राशि ₹59,160/— आरोपित कर, निर्धारण आदेश पारित किया गया । उक्त पारित निर्धारण आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर, प्रस्तुत अपील को कतिपय निर्देशों के जरिये प्रकरण को अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय

लगातार.....3

अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अविधिक होने का कथन कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित निर्धारण आदेश को पुनर्स्थापित करने की प्रार्थना कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा सामग्री का जो अनुमान किया गया है वह बिना किसी आधार के अनुचित रूप से किया गया है जबकि प्रत्यर्थी द्वारा कार्य से संबंधित जी–अनुसूची प्रस्तुत कर दिये गये थे जिनमें अधिकांश कार्य लेबर से संबंधित रिपेयरिंग का था। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दर्शायी गयी कर मुक्त माल पर भी बिना किसी आधार के करारोपण कर दिया गया। कथन किया कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा ठेके में सामग्री के प्रस्तुत की जाने वाली राशि को बढ़ाते हुऐ करारोपण करने से पूर्व विशिष्ट नोटिस जारी नहीं किया गया जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है। अतः उक्त प्रस्तुत तर्कों के आधार पर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर, अपीलीय आदेश की पुष्टि करने की प्रार्थना की गयी ।

6. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड व अपीलीय आदेश का अध्ययन किया गया । अध्ययन करने के पश्चात् यह पीठ यह अवधारित करती है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित अपीलीय आदेश केवल कल्पना के आधार पर पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के दस्तावेजों को आधार बनाया नहीं गया है एवम् न ही किसी प्रकार की कोई जांच ही गयी है । इस संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मरम्मत कार्य से प्राप्त भुगतान के संबंध में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा न तो कोई साक्ष्य अपीलीय स्तर पर एवम् न ही इस पीठ के समक्ष व न ही निर्धारण अधिकारी के समक्ष ही प्रस्तुत किये गये है इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्राप्त राशियों में से 60 प्रतिशत भाग मजदूरी एवम् 40 प्रतिशत भाग कर मुक्त सामग्री के संबंध में अवधारित निष्कर्ष भी पूर्णतः काल्पनिक मात्र है जिसके संबंध में किसी भी दस्तावेज को आधार नहीं बनाया जाकर, अपीलीय अधिकार द्वारा अनुचित रूप से प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की गयी है। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा 60 प्रतिशत भाग मजदूरी का अवधारित किया गया है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । इस संबंध में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियमों, 2006 के नियम 22(2) के अनुसार सिविल ठेका कार्यों के लिये श्रम का

लगातार................4

भाग प्राप्त सकल भुगतान का 30 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा सिविल ठेका कार्यों के लिये श्रम का भाग मरम्मत कार्य के लिये एवम् कर मुक्त सामग्री का भाग 60 प्रतिशत अनुमानित कर, सिविल कार्य के लिये श्रम का भाग 40 प्रतिशत अनुमानित कर, तद्नुसार कर की गणना की गयी है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं विशेषतः ऐसी स्थिति में जब निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में लेखा पुस्तकें प्रस्तुत ही नहीं की गयी हैं । इस संबंध में निर्धारण आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पूर्व निर्धारण वर्ष 2007–08 के संबंध में राजकोष में जमा शुद्ध कर 20,000/– अधिक होने पर भी आरोपित शास्ति अपास्त कर दी गयी है। तत्समय प्रवृत नियम 19(ii) के प्रावधानों के दृष्टिगत उक्त बिन्दु पर भी पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । जहां तक अधिनियम की धारा 18(2) व 18(3) के प्रावधानों की अनदेखी कर, चाहे गये आगत कर के मुजरे का प्रश्न है, उक्त बिन्दु पर पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नही। फलस्वरूप, हस्तगत प्रकरण उक्त विवादित बिन्दुओं पर पारित अपीलीय आदेश अपास्त कर, प्रकरण समस्त बिन्दुओं पर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है इस संबंध में प्रत्यर्थी व्यवहारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे निर्धारण अधिकारी के समक्ष आलोच्य अवधि से संबंधित समस्त दस्तावेज निर्धारण अधिकारी के समक्ष आवश्यक रूप से दिनांक 25.08.2014 को प्रस्तुत करेंगे । प्रत्यर्थी व्यवहारी की अनुपस्थिति की दशा में, अपीलार्थी व्यवहारी एकपक्षीय आदेश गुणावगुण पर करने के लिये स्वतंत्र रहेंगे ।

7. परिणामतः, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर, उपर्युक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

निर्णय सुनाया गया।

30.4.2014

(मदन लाल)
सदस्य